FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

फूली देवी वगै0 बनाम गोपालाराम वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 389 सन् 2021

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21	रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री अरूण कुमार शर्मा** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थीगण के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को जवाब पेश किये जाने तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्ध किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 824 रकबा 0.66 हेक्ट. अवस्थित ग्राम चला पटवार हल्का चला तहसील नीमकाथाना प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई मुजाहमत, दखल अन्दाजी नही करें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.10.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Scanned with OKEN Scanner

14/10 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/1/22 को पेश हो।

4/1 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/3/22 को पेश हो।

23/3/22 वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस तलवाना पेश करें। पत्रावली दिनांक 9/5/22 को पेश हो।

9/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O के अन्य कार्यों में व्यस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/7/22 को पेश हो।

7/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. P.O एम. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/9/22 को पेश हो।

08/9/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/11/22 को पेश हो।

18/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. P.O एम. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/1/23 को पेश हो।

25/1 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/4/23 को पेश हो।

11/4 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 6/6/23 नियत की जाती है।

6/6 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 28/7/23 नियत की जाती है।

28/7/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/8/23 को पेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

जो हुक्म ... तामील में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/8 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अनुपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/11/23
को पेश हो।

29/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.।
P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्थ
होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार
दिनांक 7/2/24 को पेश हो।

7/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 6/3/24 को पेश हो।

6/3/24 पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थीयागण व वकील
प्रार्थीया अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवायी
गयी। आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थीयागण
की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
होकर दफ्तर दाखिल हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

श्रवण सिंह बनाम लक्ष्मण आदि.

मुकदमा नम्बर 58 सन 2020

मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री नरेश सामोता** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि की खातेदारी प्रार्थी व उसके परिजनो के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण का इस भूमि से कोई सम्बंध व सरोकार नही हैं जबरन चाह पर अतिक्रमण कर मौका सूरत तब्दील करने पर आमादा हो रहे है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं खातेदार के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक **13.07.2020** तक पाबन्ध किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 710 रकबा 0.06 हें. गै0मु0 चाह तन **ग्राम नृसिंहपुरी** तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में अनावश्यक मजाहमत नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.07.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

13/7/20 पत्रावली पेश हुई। लॉकडाउन होने के कारण इकजाई तारीख पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/10/20 को पेश हो।

13/10 पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित। P.O. के अन्य कार्यों में व्यस्त ... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/12/20 को पेश हो।

23/12/2020 वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण के नोटिस पेशी वापस जारी हो। पत्रावली दिनांक 24/2/2021 को पेश हो।

24/2 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. के अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/4/21 को पेश हो।

8/4/21 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/6/21 को पेश हो।

2/6/21 कोरोना महामारी के प्रकोप को मध्य नजर रखते हुये इकजाई तारीख पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/7/21 को पेश हो।

22/7 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/8/21 को पेश हो।

31/8/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण के नोटिस में पुनः तारीख पेशी करवाई जावे। पत्रावली दिनांक 23/11/21 को पेश हो।

23/11 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/2/22 को पेश हो।

8/2/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ...

वरीष्ठ प्रार्थी उप0/अप्रार्थीगण की तलबी आदेशानुसार जारी होकर पत्रावली दि0 30/5/22 को पेश हो।

30/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 11/7/22 को पेश हो।

11/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 22/9/22 को पेश हो।

22/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 28/11/22 को पेश हो।

28/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 15/2/23 को पेश हो।

15/2/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित I.P.O [illegible] गए हैं। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार [illegible] को पेश हो। दिनांक 11/4/23

11/4 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली मे आगामी पेशी दिनांक 6/6/23 नियत की जाती है।

6/6 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली मे आगामी पेशी दिनांक 28/7/23 नियत की जाती हैं।

28/7/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/8/23 को पेश हो।